न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 27/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00179

उनवान

1. किशोरी देवी वेवा स्व0 रामगोपाल
2. कृष्ण कुमार } पुत्र स्व0 रामगोपाल } जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तह0 धौलपुर।
3. हरीदर्शन

4. गिथलेश पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नी मुकेश जाति वैश्य निवसी संतर रोड धौलपुर।
5. कमलेश पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नी विष्णु जाति वैश्य नि0 मारकण्डेश्वर बाजार मुरैना(म.प्र.)
6. रामस्वरूप } पुत्र स्व0 रामेश्वरदयाल जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तह0 धौलपुर।
7. हरीओम
8. कृष्णा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर दयाल पत्नी विनोद शर्मा जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तहसील धौलपुर।
9. गीता देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर दयाल पत्नी संतोष कुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम लादू खेडा तहसील खेरागढ(उ.प्र.)
10. रामनारायण पुत्र सालिगराम(मृत)
    - 10/1. परषोत्तमदास
    - 10/2. बृजकिशोर
    - 10/3. दिनेश
    - 10/4. भोलाराम
    - 10/5. हरीमोहन

    } पुत्र स्व0 रामनारायण जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तह0 धौलपुर।

    - 10/6. माया पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी अजय कुमार जाति वैश्य निवासी मुरैना(म.प्र.)
    - 10/7. हेमलता पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी कालीचरण जाति वैश्य निवासी खैरागढ जिला आगरा(उ.प्र.)
    - 10/8. शीला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी हरेश चन्द्र जाति वैश्य निवसी खैरागढ जिला आगरा(उ.प्र.)
    - 10/9. पुष्पा देवी पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी रामकिशन जाति वैश्य निवासी हाऊसिंग बोर्ड, धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.07.2015 प्रकरण संख्या 05/2018 (7/2013) उनवान रामेश्वर दयाल वनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

निर्णय

दिनांक :–02.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट की ओर से एक दावा स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इंद्राज विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2446 तथा 2447 जो गत खसरा नम्बर 1797 के अंश है, के जमींदार प्यारेलाल, पोथीराम, देवी सिंह, पंचम तथा पन्ना थे। उक्त खसरा नम्बर पूर्व में इकजाई थे जिसमें से तत्कालीन जमींदार ने कुछ भूमि वादीगण के पिता सालिगराम को संवत 1990 से पूर्व वास्ते निर्माण कुँआ, धर्मशाला आदि के लिये दे दी थी, जिस पर सालिगराम ने संवत 1991 से पूर्व धर्मशाला व कुँआ का निर्माण कराया जिसका बीजक कुँआ पर लगा है। विवादित आराजी में कुछ पत्तेदार पेड भी लगे हुये हैं। अपीलाण्ट अपने पूर्व पुरूष के समय से ही विवादित आराजी पर काबिज हैं। उन्हें खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अपीलाण्ट के पक्ष में विवादित आराजी का नियमन भी कर दिया। परन्तु बन्दोबस्त में उक्त भूमि सरकारी भूमि दर्ज की जाकर आवंटन राजकीय प्राथमिक विधालय सरानीखेडा के पक्ष में कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में अपील दायर की जो दिनांक 14.09.1996 को स्वीकार की जाकर विद्यालय का आवंटन तथा विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष का अधिकार स्वीकार करते हुये वर्ष 1982 में विवादित आराजीयात में से कुछ भूमि स्कूल हेतु दान करने का निवेदन किया जिस पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष द्वारा कुछ भूमि दान कर दी। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण/अपीलाण्ट ने स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। उक्त प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह तय करना है कि क्या विवादित आराजी वादीगण अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषो के अधिकार व कब्जे की भूमि है। इस हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसके अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2448 पर वादीगण का कुँआ, चबूतरा आदि बना होना साबित है। प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है वह भी वादीगण अपीलाण्ट के कथनो की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.08.1996 में यह पाया गया है कि वादीगण के पूर्व पुरूष को गत खसरा नम्बर 1797 नियमन किया गया था तभी से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। जिसे तहसीलदार, पटवारी व उपजिला कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। पटवारी हल्का से तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.03.1991 को मांगी गई रिपोर्ट में भी वादीगण अपीलाण्ट का कब्जा होना तथा वर्ष 1962 एवं 1965 में नियमन की सिफारिश होना जिसका अमल खसरा संवत 2027 में होना अंकित है लेकिन ना जाने किस कारण से उक्त अमल नहीं हो पाया यह तथ्य भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि संवत 2027 में बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही थी तथा इस कारण से जमाबन्दी निर्मित नहीं हुयी थी। खसरे को ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

जमाबन्दी की मान्यता दी गयी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट का कब्जा ना मानते हुये, दावा वादीगण अपीलाण्ट खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 6 तनकियात कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u>:– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलाण्ट पर था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.08.1996 एवं राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह सिद्ध है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2446 व 2447 साविक खसरा नम्बर 1797 से बने हैं तथा साविक खसरा नम्बर 1797 में से 16 विस्वा भूमि अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष सालिगराम को नियमन की गयी थी। जिसका अंकन खसरे में हो रखा है। विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 का यह तर्क कि संवत 2027 में बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही थी तथा इस कारण से जमाबन्दी निर्मित नहीं हुयी एवं खसरे को ही जमाबन्दी की मान्यता दी गयी थी, उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा के उक्त आदेश दिनांक 14.08.1996 में स्पष्ट अंकित है कि वादीगण/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष को विवादित आराजी के नियमन होने के तथ्य को तहसीलदार, पटवारी एवं उप जिला कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण/अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा होना प्रमाणित माना जाकर, कलक्टर द्वारा स्कूल के पक्ष में किये गये आवंटन को पूरी तरह अवैध माना गया है। परन्तु विवादित भूमि में वादीगण/अपीलाण्ट की पूर्व सहमति से स्कूल भवन का निर्माण होने के कारण खसरा नम्बर 2446 के आवंटन को स्कूल भवन के उस भाग, जहॉ स्कूल भवन का निर्माण हो चुका है तक बहाल रखा जाकर, खसरा नम्बर 2446 के शेष रकबे तथा खसरा नम्बर 2447 वाके ग्राम सरानी खेडा के रकबा 10 विस्वा बाबत् आवंटन को निरस्त किया गया है। जिसकी अपील प्रतिवादीगण/रैस्पो0 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 21.03.2002 से खारिज होकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.08.1996 को बदस्तूर रखा गया है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का से तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.03.1991 को मांगी गई रिपोर्ट में भी वादीगण अपीलाण्ट का कब्जा होना तथा वर्ष 1962 एवं 1965 में नियमन की सिफारिश होना जिसका अमल खसरा संवत 2027 में होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर, सरसरी तौर पर वादीगण अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। लिहाजा तनकी वहक वादीगण अपीलाण्ट पायी जाती है।

7. <u>तनकी संख्या 02 व 03</u>– उक्त तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही हैं। जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। स्वयं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

तहसीलदार, पटवारी एवं उप जिला कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी बाबत् नियमन को स्वीकार किया है एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.08.1996 से स्कूल के हक में हुये आवंटन को स्कूल भवन के हिस्से तक बहाल रखा जाकर शेष रकवे बाबत् आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अतः वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी होते हैं। तनकी वहक वादीगण अपीलाण्ट पायी जाती है।

8. <u>तनकी सख्या 04</u>– तनकी संख्या 01 की विवेचना अनुसार एवं पटवारी हल्का से तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.03.1991 को मांगी गई रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया कब्जा सिद्ध होना प्रतीत होता है।

9. <u>तनकी संख्या 05</u>– उपरोक्त तनकीयों की विवेचना से प्रभावित होती है। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

10. **अनुतोष**– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर सरसरी तौर पर वादीगण अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। लिहाजा हम अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाते हैं।

11. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2015 अपास्त किये जाकर वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2446 में स्कूल भवन की चारदीवारी अथवा स्कूल भवन के निर्माण पश्चात् स्कूल भवन की परिधि से, शेष रहे रकवे एवं खसरा नम्बर 2447 वाके ग्राम सरानीखेडा के रकवा 10 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं साथ ही वादीगण/अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 2446 में स्थित स्कूल भवन की भूमि में, उनके उपयोग व उपभोग में मदाखलत मजाहमत नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम कैम्प धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–27/2015 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. किशोरी देवी वेवा स्व0 रामगोपाल जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तहसील धौलपुर व अन्य।

..............अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर,धौलपुर

.... रेस्पोडेंट।

(विस्तृत उनवान पीछे पृष्ठ पर अंकित है।) —— ⟹

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर दिनांक 29.07.2015 प्रकरण संख्या 05/2018 (7/2013) उनवान रामेश्वर दयाल बनाम सरकार।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री निशान्त भार्गव मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.07.2015 अपास्त किये जाकर वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2446 में स्कूल भवन की चारदीवारी अथवा स्कूल भवन के निर्माण पश्चात् स्कूल भवन की परिधि से, शेष रहे रकबे एंव खसरा नम्बर 2447 वाके ग्राम सरानीखेडा के रकबा 10 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव साथ ही वादीगण/अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 2446 में स्थित स्कूल भवन की भूमि में, उनके उपयोग एंव उपभोग में मदाखलत मजाहमत नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........02...........माह.........11........सन्...........2021.........को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील ... कैम्प–धौलपुर ... भरतपुर)

02-11-2021

दस्तखत.........................
पदेन
औहदा.........................
भू प्रबन्ध अधिकारी
भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवान

1. किशोरी देवी वेवा स्व0 रामगोपाल
2. कृष्ण कुमार } पुत्र स्व0 रामगोपाल } जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तहसील धौलपुर।
3. हरीदर्शन
4. मिथलेश पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नी मुकेश जाति वैश्य निवासी सतंर रोड धौलपुर।
5. कमलेश पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नी विष्णु जाति वैश्य नि0 मारकण्डेश्वर बाजार मुरैना (म.प्र.)।
6. रामस्वरूप } पुत्र स्व0 रामेश्वरदयाल जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तह0 धौलपुर।
7. हरीओम
8. कृष्णा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरदयाल जाति वैश्य निवासी ग्राम खेडा तह0 धौलपुर।
9. गीतादेवी पुत्री स्व0 रामेश्वर दयाल पत्नि संतोष कुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम हादू खेडा तहसील खेरागढ (उ.प्र)
10. रामनारायण पुत्र सालिगराम (मृत)

10/1. परषोत्तमदास
10/2. बृजकिशोर
10/3. दिनेश
10/4. भोलाराम
10/5. हरीमोहन
10/6. माया पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी अजय कुमार जाति वैश्य निवासी मुरैना (म.प्र.)।
10/7. हेमलता पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी कालीचरन जाति वैश्य निवासी खेरागढ जिला आगरा (उ.प्र.)।
10/8. शीला पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी हरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी खेरागढ जिला आगरा (उ.प्र.)।
10/9. पुष्पादेवी पुत्री स्व0 रामनारायण पत्नी रामकिशन जाति वैश्य निवासी खेरागढ जिला आगरा (उ.प्र.)।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर।

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.07.2015 प्रकरण संख्या 05/2018 (7/2013) उनवान रामेश्वर दयाल बनाम सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।

02.11.2021